

**समाहरणालय, सहरसा**  
**(जिला राजस्व शाखा)**

-: आदेश :-

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 590/रा०, दिनांक 08.09.2014 के आलोक में "ऑपरेशन भूमि दखल" के तहत "विभिन्न स्रोतों यथा सिलिंग अधिनियम के अन्तर्गत अधिशेष घोषित भूमि, भूदान के अन्तर्गत प्राप्त भूमि, गैरमजरूआ मालिक एवं गैरमजरूआ आम भूमि सुयोग्य श्रेणी के परिवारों/व्यक्तियों को आवंटित कर उन्हें उक्त भूमि का पर्चा जिला स्तर से निर्गत किया गया था, किन्तु उक्त भूमि से पर्चाधारी बेदखल हैं", वैसे पर्चाधारियों को आवंटित भूमि पर पुलिस बल के सहयोग से दखल दिलवाया जाना है।

इस क्रम में निम्नांकित अंचलों में बेदखल पर्चाधारियों को आवंटित भूमि पर दखल दिलवाया जाना है :-

क्र०	अंचल का नाम	पंचायत का नाम	मौजा का नाम	विशेष शिविर की तिथि
1	2	3	4	5
1	नवहट्टा	रामपुर बरियाही	रामपुर बरियाही	10.06.2015 17.06.2015
2	महिषी	शंकरथुआ झारा	शंकरथुआ झारा	24.06.2015 29.06.2015
3	कहरा	अमरपुर सुलिन्दाबाद	अमरपुर सुलिन्दाबाद	16.06.2015 23.06.2015
4	सत्तर कटैया	पुरीख बिहरा सत्तर	पुरीख बिहरा सत्तर	10.06.2015 17.06.2015 24.06.2015
5	सिमरी बख्तियारपुर	धनुपरा मोहनपुर	धनुपरा मोहनपुर	11.06.2015 18.06.2015
6	सोनवर्षा	शाहपुर सरौनी मधेपुरा पदमपुर	शाहपुर सरौनी मधेपुरा पदमपुर	12.06.2015 19.06.2015 26.06.2015
7	सौरबाजार	सुहथ नादो	सुहथ नादो	11.06.2015 18.06.2015

अतः सभी संबंधित अंचलाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि स्थानीय थानाध्यक्ष से सम्पर्क कर इस कार्य हेतु आवश्यक पुलिस बल प्राप्त करेंगे तथा बेदखल पर्चाधारियों को आवंटित भूमि का अंचल अमीन से सीमांकन करवाकर दखल दिलवाना सुनिश्चित करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

प्रभारी पदाधिकारी,

जिला राजस्व शाखा, सहरसा।

समाहर्ता,  
सहरसा।

ज्ञापांक 496-2/रा०,

सहरसा, दिनांक 06 जून, 2015।

प्रतिलिपि :- सभी अंचल अधिकारी, सहरसा जिला को सूचनार्थ एवं अनिवार्य रूप से अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, सहरसा/सिमरी बख्तियारपुर को सूचनार्थ एवं अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, सहरसा/सिमरी बख्तियारपुर को सूचनार्थ एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, सहरसा को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से संबंधित थानाध्यक्ष को अपेक्षित आवश्यक सहयोग हेतु निदेशित करेंगे।

प्रभारी पदाधिकारी,

जिला राजस्व शाखा, सहरसा।

समाहर्ता,  
सहरसा।